कार्यालय : प्राचार्य शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

जी.ए.सी.सी. परिसर, भँवरकुँआ चौहारा, इन्दौर

दिनांक 26 / 12 / 2020

आज दिनांक 26 / 12 / 2020 को शा. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा **ART OF DRAFTING AND PLEADING** विषय पर स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना एवं मूट कोर्ट क्लब के अन्तर्गत वेबिनार का आयोजन किया गया । जिसमें विभिन्न स्थानों से 543 विद्यार्थियों, अध्यापकगण और विधि से संबंधित विद्वानों ने भाग लिया । इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री गुलाबचंद शर्मा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल ने अपने उदबोधन में कहा कि– विधिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिये **DRAFTING AND PLEADING** का विशेष महत्व है । एक अच्छा अधिवक्ता वही बन सकता है जिसकी **DRAFTING AND PLEADING** की लेखन की शैली अच्छी है। इस सम्बन्ध में रिटायर्ड जस्टिस शर्मा सिविल प्रकिया संहिता के **DRAFTING AND PLEADING** से संबंधित मूलभूत सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया । दूसरे प्रख्यात वक्ता डॉ. नितिन भाटी हाईकोर्ट एडवोकेट इन्दौर ने अपने वक्तव्य में श्रोतागण को **DRAFTING AND PLEADING** के प्रयोगात्मक पहलू के संबंध में विशेष जानकारी दी जिससे छात्र एवं छात्राएँ आसानी से जिला एवं सत्र न्यायालय में वकालत की प्रेक्टिस कर सकते है।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. इनार्मुरहमान द्वारा अपने उदबोधन में यह बताया गया कि **DRAFTING AND PLEADING** के पहले विधि के सामान्य सिद्धान्तों को अच्छी तरह से विद्यार्थियों को जान लेना चाहिये । इसके लिये विद्यार्थियों को सारभूत कानून एवं प्रकियात्मक कानून की गहन जानकारी होना चाहिये। इस सम्बन्ध में **PLEADING DRAFT** करते समय तीन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिये–

1. तथ्यों को अभिकथित करना चाहिये, विधि को नहीं
2. तथ्यों को अभिकथित करना चाहिये ना कि साक्ष्य को जिनसे वह तथ्य साबित होता है।
3. अभिवचन संक्षिप्त होना चाहिये ।

साथ ही प्रतिवादी को प्रतिरक्षा लेते समय वादी के अभिवचन के सम्बन्ध में तीन बातें ध्यान में रखना चाहिये –

1. इन्कार वाग्छल पूर्ण न किया जाये । इस तरह से उसे **TRAVERSE** किया जायें ।
2. प्रतिवादी के द्वारा **CONFESSION AND AVOIDENCE** करते समय वह वादी के तथ्यों से सहमत हो सकता है, साथ ही उसे **AVOID** भी कर सकता है।
3. विधि के बिन्दु पर उसे स्पष्ट रूप से आक्षेप लेना चाहिये ।

अंत में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि सकता है कि **DRAFTING AND PLEADING** प्रकिया निरन्तर सीखने की प्रकिया है जिसमें विद्यार्थी धीरे–धीरे पारंगत हो सकते है। कार्यकम के अंत में डॉ. मिर्जा मोजिज बेग द्वारा आभार व्यक्त किया गया ।

डॉ. इनार्मुरहमान
प्राचार्य
शा. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर